

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह चौहान सिंह

राजस्व वाद संख्या :- 47/2023

रामदेव पुत्र मांगू जाति जाट निवासी बस्सी झाझडा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर राज0

.... वादी


बनाम

1. गणेशलाल पुत्र कालू जाति जाट
2. जगदीश प्रसाद पुत्र गोपीराम जाति जाट
3. उनिता पुत्री श्रवणलाल
4. कमला पत्नि रूडाराम
5. कानाराम पुत्र रूडाराम
6. गलकूदेवी पत्नि ईश्वरलाल
7. पप्पूलाल पुत्र ईश्वरलाल
8. बिरदाराम पुत्र सेडूराम
9. बीलादेवी पुत्री सेडूराम
10. ममता पुत्री श्रवणलाल
11. मोहनलाल पुत्र सेडूराम
12. राधादेवी पत्नि श्रवणलाल
13. रामदेव पुत्र नन्दा
14. रामधन पुत्र श्रवणलाल
15. रामनिवास पुत्र ईश्वरलाल
16. रामलाल पुत्र सेडूराम
17. लालाराम पुत्र सेडूराम
18. श्रवणी पत्नि गणेशलाल
19. शिशपाल पुत्र ईश्वरलाल
20. सुनिता देवी पुत्री श्रवणलाल
21. सीताराम पुत्र नन्दा
22. हनुमानलाल पुत्र सेडूराम



- समस्त जाति जाट निवासी बस्सी झाझडा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर राज0 ।
23. चौथीदेवी पत्नि हनुमान जाति जाट नि0बालमुकन्दपुरा उर्फ नाडा तह0 बगरू जि0 जयपुर ।
  24. धापूदेवी पत्नि श्योकरण जाति जाट नि0 नि0बालमुकन्दपुरा उर्फ नाडा तह0 बगरू जि0 जयपुर ।
  25. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोबास जरिये प्रबंधक
  26. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कालक जरिये प्रबंधक
  27. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जोबनेर जरिये प्रबंधक
  28. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर
  29. सब रजिस्ट्रार तहसील जोबनेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा


- उपस्थित :- 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी  
2. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार प्रतिवादी संख्या 1,2,18, 23 एवं 24  
3. श्री रामावतार सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 11 15 16  
17 22  
4. श्री लोकेश कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 5

—:निर्णय:—

दिनांक:—16/05/2025

वादी द्वारा वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नं0 1 रकबा 0.5184 है0, आराजी खसरा नं0 19/2 रकबा 0.1265 है0, आराजी खसरा नं0 21/2 रकबा 0.9357 है0, आराजी खसरा नं0 22 रकबा 0.3414 है0, आराजी खसरा नं0 24/2 रकबा 0.1012 है0, आराजी खसरा नं0 27 रकबा 0.3414 है0, आराजी खसरा नं0 28/1 रकबा 1.9853 है0, आराजी खसरा नं0 28/2 रकबा 0.0126 है0, आराजी खसरा नं0 29/1 रकबा 0.6449 है0, आराजी खसरा नं0 29/2 रकबा 0.0126 है0, आराजी खसरा नं0 30 रकबा 1.5553 है0, आराजी खसरा नं0 31 रकबा 0.2403 है0, आराजी खसरा नं0 32 रकबा 0.6323 है0, आराजी खसरा नं0 35/2 रकबा 0.0126 है0, आराजी खसरा नं0 36 रकबा 0.8725 है0, आराजी खसरा नं0 37 रकबा 0.2276 है0, आराजी खसरा नं0 38 रकबा 0.5437 है0, आराजी खसरा नं0 39 रकबा 0.8219 है0, आराजी खसरा नं0 40 रकबा 0.9104 है0, आराजी खसरा नं0 43 रकबा 1.2645 है0, आराजी खसरा नं0 47 रकबा 0.0253 है0, आराजी खसरा नं0 48 रकबा 0.3920 है0, कुल किता 22 कुल रकबा 12.5184 वाकैँ ग्राम बस्सी झाझडा पटवार हल्का बोबास तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 राजस्थान मे स्थित है। जो प्रतिवादी सं0 01 ल0 24 के संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। जिसमे वादी व प्रतिवादी सं0 01 ल0 24 का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे अंकित है। जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 01 ल0 24 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी सं0 01 ल0 24 ने पारस्परिक सहमति से मौखिक रूप से विभाजन करके अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधि सम्मत विभाजन नहीं हो रखा है। जिससे वादी को अपने हिस्से की भूमि को उन्नत व विकसित करने में परेशानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादी सं0 01 ल0 24 को कई बार वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो वे टालमटोल करते आये है एव वादी को विश्वास देते रहे है कि समय मिलते ही उक्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवा देगे जिसकी वजह से वादी उनके विश्वास मे चले आ रहे है। किन्तु आजकल प्रतिवादी सं0 01 ल0 24 वादीगण से मनमुटाव रखने लग गये है तथा जब वादी ने उनको विधिवत रूप से भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब भी नहीं देते है। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारो की

  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर

सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो गया और मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करते हुये बिना विधिक भूमि करवाये भूमि का बेचान कर निर्माण कर लिया गया एवं वादग्रस्त भूमि की किरत को परिवर्तन कर दिया या प्रतिवादीगण ने वादी को भौके के कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया तो वादी अपने हक व हिस्से एवं उन्नत व विकसित की गई भूमि से वंचित हो जायेगे वादीगण को अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 की गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 18, 23 एवं 24 मय अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय में उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 19 20 21 25 26 27 28 29 के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 8 11 15 16 17 22 मय अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय में उपस्थित आए, परन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।


बहस अधिवक्ता उपभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2, 18, 23 एवं 24 द्वारा वादी का वाद वादी की भूमि रास्ते में समल्लित नहीं करने तथा प्रत्येक खातेदार को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराते हुए वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं प्रत्येक खातेदार को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराते हुए कब्जे को प्राथमिकता देते हुए दिनांक 08.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 09.01.2025 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गय।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के पत्रांक आर.ए.ए./06/25/383 दिनांक 07.01.2025 द्वारा पत्रावली तलब की गयी। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के पत्रांक आर.ए.ए./2025/5460 दिनांक 28.03.2025 द्वारा पत्रावली पुनः इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारों के हिस्से की घोषणा अर्थात दर्ज हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करने के आदेश प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री उचित प्रतीत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी अन्तिम निर्णय व डिक्री होना शेष है। ऐसे में उभयपक्षों की सुनवाई कर पुनः नवीन सिरे से उभयपक्षों की मौजूदगी में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रकरण इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकरान की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देश प्रदान कर बाद प्राप्ति कुरेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान को

आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर चाव में अन्तिम निर्णय पारित कि जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः दर्ज की गयी एवं निर्णय दिनांक 18.03.2025 की पालना में पुनः कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जोबनेर को निर्देशित किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय की पालना में दिनांक 05.05.2025 को कुरेजात न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 संख्या द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:- तहसीलदार महोदय जोबनेर द्वारा आदेश क्रमांक/कोर्ट/राजस्व/05, 06 दिनांक 02.04.2024 की पालना में तैयार की गई कुरेजात रिपोर्ट प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 की अनुपस्थिति में तैयार की गई है और ना ही प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 के उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव में जो खसरा नंबर 39डी को दो व्यक्तियों को एक ही खसरा नंबर दिये गये है जो कि 39डी प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 को व 39डी प्रतिवादी संख्या 23 चौथी देवी पत्नि हनुमान को दे दिये गये है। इस प्रकार एक ही खसरा नंबर 39डी मौका रिपोर्ट में दो व्यक्तियों को जारी किये गये है। खसरा नंबर 35/2 जो विभाजन प्रस्ताव से हनुमान पि० सेडूराम प्रतिवादी सं० 22, 17, 16 रामपाल पि० सेडूराम, बिरदा पि० सेडूराम, मोहनलाल पि० सेडूराम, प्रतिवादी संख्या 11, प्रतिवादी सं० 9, प्रतिवादी सं० 3, प्रतिवादी सं० 20, प्रतिवादी सं० 10, प्रतिवादी सं० 14, प्रतिवादी सं० 12, प्रतिवादी सं० 6 तथा प्रतिवादी सं० 15, प्रतिवादी सं० 19 को दे दिया गया है जबकि उक्त स्थान पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 का पुख्ता मकान करीब 40 वर्षों से पिता के समय से बना हुआ है जिसकी कीमत वर्तमान में 50 लाख रुपये है तथा एक कुआ भी बना हुआ है जिसका विधुत कनेक्शन प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 के पिता के नाम से है। इस प्रकार उक्त खसरा नंबर 35/2 जो विभाजन प्रस्ताव से तैयार करके इसकी प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 को खसरा नंबर 35/1/सी दे दिया गया है इस पर भी पुनः नक्शे कुरेजात पुनः तैयार करके मंगवाया जाना आवश्यक है। नंबर 41/सी, प्रतिवादी सं० 13 को, प्रतिवादी सं० 21 को, प्रतिवादी सं० 5 प्रतिवादी सं० 4 को दे दिया गया है। जबकि उक्त खसरा नंबर में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना पौण्ड बना रखा है। जो कि उक्त खसरा नंबर 41/सी से विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त व्यक्तियों के चला गया है जो कि मौके की वास्तविक स्थिति से विपरीत जाकर उक्त नक्शे कुरेजात तहसीलदार महोदय द्वारा नक्शे कुरेजात तैयार किये गये है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 ने एक बोरिंग मय विधुत कनेक्शन बना रखा है जो भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खसरा नंबर 44 बी तैयार करके रामदेव, सीताराम, कानाराम, कमला देवी को दे दिया गया है। विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट जो कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नंबरों के तैयार किये गये है वह आने जाने हेतु बिना रास्ते कायम किये ही तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव से जो खसरा नंबर 41/सी, 44/बी, 45/बी, 46/बी रामदेव पिता नन्दा, सीताराम पुत्र नन्दा, कानाराम पुत्र रुडाराम, कमला पत्नि रुडाराम को दिये गये है जबकि उक्त खसरा नंबरों के स्थान पर उपरोक्त व्यक्तियों को कोई कब्जा काश्त नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में जो खसरा नंबर 1 तैयार करके नाम खातेदार कॉलम में जिन खातेदारों का नाम दिया गया है उनका किसी का भी कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही खसरा नंबर 1 जो तैयार किया गया है उस पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं०

  
dsc  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर

2 का कोई कब्जा काशत नहीं है बल्कि उपरोक्त जगह रामकरण निठारवाल व बिरदाराम निठारवाल पुत्रान साधूराम का कब्जा काशत है इस प्रकार बिना कब्जे काशत के ही उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट पेश की गई है जो कि निरस्त कि जाने योग्य है प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 की भूमि रामदेव, सीताराम, कमली, कानाराम के कब्जे काशत में है जो कि बुजुर्गान के समय से 50 साल पहले से कब्जे काशत में है इस प्रकार बिना कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है जो निरस्त कर पुनः कुरेजात मंगवाया जाना आवश्यक है।

अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर पुनः मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव सभी खातेदारो की उपस्थिति में तैयार करवाये जाकर मंगवाये जाने की कृपा करें।

आपत्ति प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी को दिलाई गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करे सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 2 द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का ही दौहरान करते हुए तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 को निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 18.03.2025 की पालना जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार तैयार कर पेश किये गये। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथा इसी आराजीयात से संबंधित अन्य वाद पत्र जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं वादी है, में भी मौके कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त दोनों वाद पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया गया है कि किस खसरा नंबरान पर कौन पक्षकार काबिज है। यदि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 को कुरेजात बनाने पर आपत्ति थी, तो कुरेजात तैयार करते समय तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पत्र खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी/वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात दिनांक 09.01.2025 को प्रस्तुत किये गये थे। जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गयी कि प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जावे एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जावे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात तैयार दिनांक 05.05.2025 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद एवं जवाब दावा में कही भी यह अंकित नहीं है कि कौनसे खसरा नंबरान पर कौन काशतकार काबिज है। पक्षकारान द्वारा मौखिक सहमति से विवादीत भूमि का बटवारा किया जाकर कब्जे काशत के अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय के अनुसार ही तहसीलदार जोबनेर द्वारा पक्षकारान के कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुए कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये है। तहसीलदार

जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार ही कुरेजात तैयार किये गये है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा भी यही निर्देशि प्रदान किये गये है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है। तथा वादी का वाद तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 05.05.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 05.05.2024 निर्णय का भाग रहेंगे।

**वाकै ग्राम बस्सी झाझडा**

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1	गणेश पि. कालू हि. 1/6 जाट राहिन बी.ओ.बी. बोबास हनुमानलाल पि. सेडूराम जाट 1/32 लालाराम पि. सेडूराम जाट 1/32 रामलाल पि. सेडूराम जाट 1/32 बिरदाराम पि. सेडूराम जाट 1/32 मोहनलाल पि. सेडूराम जाट 1/32 बीलादेवी पुत्री सेडूराम जाट 1/32 उनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/160 रामधन पि. श्रवणलाल जाट 1/160 सुनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/160 ममता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/160 राधादेवी पत्नी श्रवणलाल जाट 1/160 गलकु पत्नी ईश्वरलाल जाट 1/128 पप्पूलाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/128 रामनिवास पि. ईश्वरलाल जाट 1/128 शिशपाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/128 रामदेव पि. नन्दा जाट 1/12 राहिन बी.ओ.बी. बोबास कमला पत्नी रूडाराम जाट 1/24 राहिन बी.ओ.बी. बोबास सीताराम पि. नन्दा जाट 1/12 राहिन बी.ओ.बी. बोबास कानाराम पि. रूडाराम जाट 1/24 राहिन बी.ओ.बी. बोबास जगदीश प्रसाद पि. गोपीराम जाट 1/4 राहिन एस.बी. आई. जोबनेर श्रवणी पत्नी गणेशलाल जाट 1/12 राहिन बी.ओ.बी. बोबास	1	0.5184	बारानी 3
		किता-01	0.5184	
2	चौथीदेवी पत्नी हनुमान 1/2 जाति जाट राहिन हि. 1/2 बी.ओ.बी. बोबास धापू देवी पत्नी श्योकरण 1/2 जाति जाट राहिन 1/2 SBI बोरारज	28/1/डी 29/2 29/1/सी 36/सी 37 38 39/सी 40/सी 43/सी 46/डी 47 48 36/डी 35/2/डी 39/डी	0.4224 0.0126 0.5695 0.4652 0.2276 0.5437 0.3081 0.2961 0.7757 0.4212 0.0253 0.3920 0.0358 0.0576 0.4316	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
		किता-15	4.9844	



3	रामदेव पि. मांगु हि. 32295/65026 जाट राहिन	24/2/ए	0.0390	बारानी 3
	32295/65026 एस.बी.आई. जोबनेर	26/ए	0.4760	बारानी 3
	कमला पत्नी हीरालाल 9758/65026 राहिन	27/ए	0.1628	बारानी 3
	9758/65026 बी.ओ.बी. बोबास	33/ए	0.9124	बारानी 3
	नानूडी पत्नी रामदेव 4457/65026	34/ए	0.8088	बारानी 3
	राजूदेवी पत्नी सरदारसिंह 9758/65026 राहिन	35/1/ए	1.1410	बारानी 3
	9758/65026 बी.ओ.बी. बोबास	41/ए	0.7621	बारानी 3
	शीला पत्नी पेमाराम 9758/65026 राहिन	45/ए	1.7259	बारानी 3
	9758/65026 बी.ओ.बी. बोबास	46/ए	0.7042	बारानी 3
		किता-09	6.6028	
4	रामदेव पि. नन्दा 1/3 जाट राहिन 1/3 बी.ओ.बी. बोबास	41/सी	0.5807	बारानी 3
	सीताराम पि. नन्दा 1/3 जाट राहिन 1/3 बी.ओ.बी. बोबास	44/बी	1.0640	बारानी 3
	कानाराम पि. रूडाराम 1/6 जाट	45/बी	0.4870	बारानी 3
	कमला पत्नी रूडाराम 1/6 जाट	46/बी	0.9202	बारानी 3
		किता-04	3.0659	
5	जगदीश प्रसाद पि. गोपीराम राहिन	35/1/सी	0.1774	बारानी 3
	एस.बी.आई. जोबनेर	41/बी	0.6491	बारानी 3
	नारायणी पत्नी जगदीश प्रसाद राहिन	39/डी	0.0522	बारानी 3
	एस.बी.आई. जोबनेर	40/ए	0.5731	बारानी 3
		43/ए	0.4338	बारानी 3
		44/ए	0.2511	बारानी 3
		46/सी	1.2320	बारानी 3
	किता-07	3.0659		
6	हनुमान लाल पि. सेडूराम जाट 1/8	28/1/ई	0.0089	बारानी 3
	लालाराम पि. सेडूराम जाट 1/8	29/1/ए	0.0444	बारानी 3
	रामपाल पि. सेडूराम जाट 1/8	30/बी	1.4287	बारानी 3
	बिरदाराम पि. सेडूराम जाट 1/8	31/बी	0.0558	बारानी 3
	मोहनलाल पि. सेडूराम जाट 1/8	34/बी	0.1069	बारानी 3
	बीलादेवी पुत्री सेडूराम जाट 1/8	35/2	0.0126	बारानी 3
	उनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/40	35/1/बी	1.0771	बारानी 3
	सुनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/40	36/ए	0.3315	बारानी 3
	ममता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/40			
	रामधन पिता श्रवणलाल जाट 1/40			
	राधादेवी पत्नी श्रवणलाल जाट 1/40			
	गलकु पत्नी ईश्वरलाल जाट 1/32			
	पप्पूलाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/32			
	रामनिवास पि. ईश्वरलाल जाट 1/32			
	शिशपाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/32			
		किता-08	3.0659	
7	गणेशलाल पि. कालू राहिन बी.ओ.बी. बोबास	24/2/बी	0.0614	बारानी 3
	श्रवणी देवी पत्नी गणेशलाल राहिन	26/बी	0.2827	बारानी 3
	बी.ओ.बी. बोबास	33/बी	0.1118	बारानी 3
		32	0.6323	बारानी 3
		27/बी	0.1888	बारानी 3
		19/2	0.1265	बारानी 3
		22	0.3414	बारानी 3
		21/2/ए	0.0639	बारानी 3
		21/2/सी	0.8393	बारानी 3
		28/2	0.0126	बारानी 3
		28/1/ए	0.7965	बारानी 3
	28/1/सी	0.7040	बारानी 3	



		31/ए	0.1845	बारानी 3
		30/ए	0.1266	बारानी 3
8	गणेशलाल पि.कालू जाट 1/4 राहिन 1/4 बी.ओ.बी बोबास	21/2/बी	0.0325	बारानी 3
	हनुमानलाल पि. सेडूराम जाट 1/48	28/1/बी	0.0535	बारानी 3
	लालाराम पि. सेडूराम जाट 1/48	29/1/बी	0.0310	बारानी 3
	रामलाल पि. सेडूराम जाट 1/48	36/बी	0.0400	बारानी 3
	बिरदाराम पि. सेडूराम जाट 1/48	39/बी	0.0300	बारानी 3
	मोहनलाल पि. सेडूराम जाट 1/48	40/बी	0.0412	बारानी 3
	बीलादेवी पुत्री सेडूराम जाट 1/48	43/बी	0.0550	बारानी 3
	उनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/240	46/ई	0.0520	बारानी 3
	रामधन पि श्रवणलाल जाट 1/240			
	सुनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/240			
	ममता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/240			
	राधा पत्नी श्रवणलाल जाट 1/240			
	गलकु पत्नी ईश्वरलाल जाट 1/192			
	पप्पूलाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/192			
	रामनिवास पि. ईश्वरलाल जाट 1/192			
	शिशपाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/192			
	रामदेव पि. नन्दा जाट 1/18 राहिन 1/18 बी.ओ.बी बोबास			
	सीताराम पि. नन्दा 1/18 जाट राहिन 1/18 बी.ओ.बी बोबास			
	कानाराम पि.रूडाराम 1/18 जाट राहिन बी.ओ.बी बोबास			
	जगदीश प्रसाद पि. गोपीराम 1/6 जाट राहिन 1/6 एस.बी.आई जोबनेर			
	चौथी पत्नी हनुमान 1/8 जाट राहिन 1/8 बी.ओ.बी बोबास			
	धापुदेवी पत्नी श्योकरण 1/8 जाट राहिन एस.बी.आई बोराज	किता- 08	0.0352	

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 05.05.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 05.05.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



(देवेन्द्र सिंह चौहान) अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
जोबनेर, जयपुर